जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियन्ता गिरफ्तार

जयपुर, 18 जनवरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनवास उपखण्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता महेश नामा को आज गैर उपभोक्ता को गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफार्मर जारी कर बिजली चोरी करवाने में सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया जंहा से उसको ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम कोटा के अधिशाषी अभियन्ता सतर्कता ने 11 अगस्त, 16 को विजिलेन्स चैकिंग के दौरान अगस्त, 2016 में गैर उपभोक्ता के यहां अवैद्य 25 केवीए ट्रांसफार्मर से कृषि कार्य के लिए बिजली चोरी पकड़ी थी। जिसकी एफआईआर 13 अगस्त, 2016 को दर्ज करवा कर जाचं में पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता महेश नामा द्वारा जो उस समय सांगोद उपखण्ड में कार्यरत था, गैर कानूनी तरीके से गैर उपभोक्ता को कृषि कार्य के लिए ट्रांसफार्मर देकर बिजली चोरी करवा रहा था।

श्री बोहरा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के सतर्कता जांच दलों द्वारा अवैद्य ट्रांसफार्मर लगा कर वृहत स्तर पर बिजली चोरी को रोकने के लिए पिछले चार महिने से अथक प्रयास किए जा रहे है। अब तक 557 अवैद्य ट्रांसफार्मर जब्त किए जा चुके है। आज भी सतर्कता जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर 14 अवैद्य ट्रांसफार्मर जब्त किए गए, जिसमें कोटपूतली में 5, धौलपुर में 7 एवं करौली में दो ट्रांसफार्मर जब्त किए है। जबकि सपोटरा में अवैद्य ट्रांसफार्मर उतारने गए विद्युत निगम के सतर्कता दल पर स्थानीय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमला किया गया, जिसमें निगम के पांच कर्मचारियों को चोटें आई है।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 503/2017